न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 53/2021 G.C.M.S. No. 2021/260 दर्ज दिनांक : 08.09.2021

अपीलार्थिगणः

1. चुनकी पत्नि धनाराम
2. मोती उर्फ मोनाराम पुत्र धनाराम
3. भानाराम पुत्र धनाराम
4. कंचन पुत्री धनाराम जातिगण सीरवी निवासी खारड़ी, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. कंकुबाई उर्फ कंकुड़ी पत्नि वरदाराम, जाति सीरवी निवासी खारड़ी, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली हाल रामपुरा तहसील पाली। (फौत, तर्क)
2. वजाराम पुत्र पदमाराम, जाति सीरवी निवासी रामपुरा तहसील पाली। (तर्क)
3. चमन कंवर पत्नि जयसिंह, जाति राजपूत निवासी खारड़ी, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2015 व 108/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2021 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 तथा क्रॉस-ऑब्जेक्शन द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3

पैरोकार-

1. अपीलांट अनुपस्थित एवं अपील अदम हाजरी अदम पैरवी व अदम तकमील में खारिज।
2. श्री ओ.पी. चौधरी, श्री विक्रम कुमार शर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 26.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2015 व 108/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 108/2014 अंतर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जो विचाराधीन था व उसी दौरान रेस्पोंडेंट ने एक दावा 53ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जो मुकदमा संख्या 02/2015 दर्ज किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नंबर 181, 804, 807, 808 रकबा 9.1516 हैक्टेयर भूमि मय खसरा नंबर 808 के संबंध में वादी धनाराम के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि का बेचाननामा जो कंकुडी बेवा वरदाराम के द्वारा दिनांक 16.10.2014 को उक्त भूमि का 1/2 भाग का चमन कंवर पत्नी जयसिंह चम्पावत जाति राजपूत निवासी खारड़ी के द्वारा किया गया, उसे अकृत व शून्य करार कर निरस्त किया जावें। अपीलांट के वाद में चमन कंवर द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलांट का वाद खारिज करने का जो आदेश दिया है, वह निरस्त योग्य है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के वाद में फैसला दिया है एवं अनवान वही दर्ज है एवं अपीलांट का दावा पूर्व में किया हुआ था। रेस्पोंडेंट का दावा बाद में प्रस्तुत किया था, जो बिना आधार के था व सिविल कोर्ट में वादग्रस्त बेचान के संबंध में दावा जिला न्यायाधीश महोदय के यहां विचाराधीन बताया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद खारिज करने का जो आदेश दिया है, वह निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में न तो साक्ष्य ली गई हैं एवं न ही उस संबंध में कोई बहस सुनी गई है व न्यायालय ने सिर्फ यह कहकर कि जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया हुआ है एवं दावा डिक्री करने का आदेश पारित कर दिया, सर्वथा विधिविरूद्ध एवं निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

रेस्पोंडेंट संख्या 3 चमन कंवर द्वारा जरिये अधिवक्ता क्रॉस-ऑब्जेक्शन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में दो बेरे निर्मित है। खसरा संख्या 808 गैर मुमकिन बेरा एवं अन्य बेरा खसरा संख्या 804 की भूमि में स्थित था। खसरा संख्या 808 गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 807 से लगता स्थित है। जो अपीलांट्स के हिस्से में रखा गया है। खसरा संख्या 804 के दो भाग कर 804 व 804/1 किए गए। जिनमें से 804 अपीलांट के हिस्से में व 804/1 चमन कंवर के हिस्से में रखा गया है। कुआं 804/1 की भूमि में स्थित है। जो गलत रूप से 804/2 खसरा आवंटित करते हुए दोनों पक्षकारों के हिस्से में रखा गया है। अतः क्रॉस-ऑब्जेक्शन स्वीकार कर खसरा संख्या 804/1 की भूमि में से कुएं की भूमि को रेस्पोंडेंट चमन कंवर के हिस्से में रखा जावें।

अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी व अदम तकमील में खारिज हो गई। अतः प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते क्रॉस-ऑब्जेक्शन के निर्णय में नियत की गई। जो निम्नानुसार है-

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 108/2014 एवं वाद संख्या 02/2015 को संयोजित करते हुए वाद संख्या 108/2014 को आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत खारिज करते हुए वाद संख्या 02/2015 में दिनांक 15.01.2021 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री व दिनांक 11.02.2022 को अंतिम डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजीयात ग्राम खारड़ी तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 181, 804, 807 व 808 का विभाजन किया गया।

2. विभाजन प्रस्ताव एवं अंतिम डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात परस्पर लगती हुई स्थित है तथा इनमें से खसरा संख्या 807 की आराजी से लगता हुआ खसरा संख्या 808 गैर मुमकिन बेरा है तथा खसरा संख्या 804 की आराजी में एक अन्य कुआं स्थित है। जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। खसरा संख्या 804 व 807 का विभाजन करते हुए समानांतर स्थित दोनों खसरान के उत्तरी भाग को खातेदार चुन्नीदेवी, कंचन, ताराराम व मानाराम के हिस्से में रखा गया। जिसमें खसरा संख्या 804 व 807 का उत्तरी 1/2 भाग तथा 808 गैर मुमकिन बेरा का संपूर्ण भाग एवं इन तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 807/2 व अन्य खसरा 181 का 1/2 उत्तरी भाग शामिल है। इसी प्रकार खसरा संख्या 804 व 807 व 181 का दक्षिणी 1/2 भाग क्रमशः 804/1, 807/1 व 181/1 खातेदार चमन कंवर के हिस्से में रखा गया एवं मूल खसरा संख्या 804 के दक्षिणी भाग जो 804/1 है, की पश्चिमी सीमा पर मौके पर स्थित कुएं व इस तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 804/2 आवंटित करते हुए उक्त भूभाग को उभयपक्ष के सामलात रखा गया है। हमारे विनम्र मत में चूंकि वादग्रस्त आराजीयात का उभयपक्ष में 1/2–1/2 भाग में विभाजन किया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात में दो कुएं हैं। जिनमें से एक कुआं खसरा संख्या 808 धन्नाराम के वारिसान के हिस्से में रखा गया है। ऐसी स्थिति में अन्य कुआं जो मूल खसरा संख्या 804 के दक्षिणी भाग में स्थित है, को खातेदार चमन कंवर के हिस्से में रखा जाना कानूनन आवश्यक था। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 804/2 रकबा 0.0291 हैक्टेयर बेरा व रास्ता सामलात उपयोग हेतु रखा जाकर कानूनन त्रुटि की हैं।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में रेस्पोंडेंट संख्या 3 चमन कंवर द्वारा प्रस्तुत क्रॉस–ऑब्जेक्शन बखूबी साबित होने व स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खसरा संख्या 804/2 रकबा 0.0291 हैक्टेयर बेरा व रास्ता उपयोग हेतु सामलाती के स्थान पर उक्त खसरा व इसका संपूर्ण रकबा में से चमन कंवर के अतिरिक्त अन्य सहखातेदारान का नाम विलोपित करते हुए इसे खातेदार चमन कंवर के खसरा संख्या 804/1 के रकबे में शामिल किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः क्रॉस–ऑब्जेक्शन अंतर्गत अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2022 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए खसरा संख्या 804/2 रकबा 0.0291 हैक्टेयर बेरा व रास्ता उपयोग हेतु सामलाती के स्थान पर उक्त खसरा व इसका संपूर्ण रकबा में से चमन कंवर के अतिरिक्त अन्य सहखातेदारान का नाम विलोपित करते हुए इसे खातेदार चमन कंवर के खसरा संख्या 804/1 के रकबे में शामिल किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी अनुरूप भू–अभिलेख में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री पृथक से जारी हों, जो इस निर्णय का भाग होगा। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **26.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिक्री ब सीगे अपील

(आदेश 41 नियम 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

बइजलास डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 53/2021 G.C.M.S. No. 2021/260 दर्ज दिनांक : 08.09.2021

अपीलार्थिगण:

1. चुनकी पत्नि धनाराम
2. मोती उर्फ मोनाराम पुत्र धनाराम
3. भानाराम पुत्र धनाराम
4. कंचन पुत्री धनाराम जातिगण सीरवी निवासी खारड़ी, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कंकुबाई उर्फ कंकुड़ी पत्नि वरदाराम, जाति सीरवी निवासी खारड़ी, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली हाल रामपुरा तहसील पाली। (फौत, तर्क)
2. वजाराम पुत्र पदमाराम, जाति सीरवी निवासी रामपुरा तहसील पाली। (तर्क)
3. चमन कंवर पत्नि जयसिंह, जाति राजपूत निवासी खारड़ी, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली

<u>अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2015 व 108/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2021 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 तथा क्रॉस–ऑब्जेक्शन द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3</u>

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री ओ.पी. चौधरी, श्री विक्रम कुमार शर्मा विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 3 पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि क्रॉस–ऑब्जेक्शन अंतर्गत अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2022 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए खसरा संख्या 804/2 रकबा 0.0291 हैक्टेयर बेरा व रास्ता उपयोग हेतु सामलाती के स्थान पर उक्त खसरा व इसका संपूर्ण रकबा में से चमन कंवर के अतिरिक्त अन्य सहखातेदारान का नाम विलोपित करते हुए इसे खातेदार चमन कंवर के खसरा संख्या 804/1 के रकबे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

में शामिल किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी अनुरूप भू–अभिलेख में अमल दरामद किया जावें। बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज दिनांक 26.06.2025 को जारी किया गया।

मुहर अदालत

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
हुक्मनामा	शून्य	शून्य			
मुतफर्रिक					
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य